छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /विस/स्था./2015 रायपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि समितियों की बैठकों के पश्चात् संक्षिप्त कार्य विवरण महिनों तक प्रस्तुत नहीं होते हैं । यद्यपि इसके संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है । पूर्व में जारी कार्यालय आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये संक्षिप्त कार्य विवरण तैयार करने के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

"लिपिकीय सहयोग से वित्तीय समिति अधिकारी/अनुभाग अधिकारी शब्दशः कार्यवाही के आधार पर समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करते हुये संक्षिप्त कार्य विवरण का प्रारूप तैयार करेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्य शब्दशः कार्यवाही में से जिस स्थान से लिये गये हैं, वे क्रास रिफ्रेंसिंग हेतु पतांकित भी करेंगे । यह सुनिश्चित करना दायित्वाधीन है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य न छूटे । इस प्रकार तैयार किया गया टंकित स्वरूप में संक्षिप्त कार्य विवरण का प्रारूप अपने से वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

वरिष्ठ अधिकारी संक्षिप्त कार्य विवरण में सम्मिलित तथ्यों की जॉच शब्दशः कार्यवाही से कर यदि उसमें कोई तथ्य अतिरिक्त सम्मिलित करना चाहे तो वित्तीय समिति अधिकारी/अनुभाग अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुये और नस्ती पर टीप अंकित करते हुये, संक्षिप्त कार्य विवरण में सम्मिलित करेंगे तथा इस प्रकार तैयार संशोधित संक्षिप्त कार्य विवरण अपर सचिव को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

वित्तीय समिति अधिकारी/अनुभाग अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शब्दशः कार्यवाही का अच्छे से अध्ययन करें और संक्षिप्त कार्य विवरण का प्रारूप पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में दी गई अवधि के अनुरूप प्रस्तुत किया करें ।"

आदेश से,

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 1814/विस/स्था./2015 रायपुर, दिनांक : 05.12.2015

प्रतिलिपि :–

1. सर्व संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. सर्वर कक्ष ।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा